



2026:AHC:166406

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 27753 सन् 2026

दुर्गा यादव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : बिपिन कुमार, मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी
विपक्षी पक्षकार की ओर से अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. श्री मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी, आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना अलीनगर, जनपद चंदौली में धारा 85 एवं 80(2) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वाद अपराध संख्या 293 सन् 2026 में आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतका का ससुर है, जिसने घरेलू विषयों को लेकर हुए एक मामूली विवाद के पश्चात् फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आवेदक को केवल मृतका का ससुर होने के आधार पर झूठा फंसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध ऐसा कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि मृत्यु से पूर्व दहेज की मांग पूरी न किए जाने के कारण उसने मृतका को प्रताड़ित किया था। आवेदक को परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामान्य एवं अस्पष्ट आरोप लगाकर झूठा फंसाया गया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होने के मामले में दहेज मृत्यु की उपधारणा लागू करने के लिए यह प्रदर्शित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है कि मृतका को मृत्यु से ठीक पूर्व क्रूरता का शिकार बनाया गया था, किंतु ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

4. अंततः यह प्रस्तुत किया गया है कि पुलिस द्वारा आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, अतः अभिरक्षात्मक पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा वह 02.06.2026 से कारागार में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

6. वाद के संपूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण की प्रस्तुतियों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मृतका का ससुर है, साथ ही कारागारों में अत्यधिक भीड़ तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबितता को ध्यान में रखते हुए तथा **कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन सर्वोच्च न्यायालय 3038 में प्रकाशित है, के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निर्देश तथा जमानत प्रदान किए जाने के संबंध में इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन**

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इलाहाबाद 6765 के वाद में निर्धारित दिशा-निर्देश को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **दुर्गा यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान धनराशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक किसी ऐसे व्यक्ति को, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट करने से विरत करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा अथवा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित होगा।

8. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

9. आवेदक तथा जमानतदारों की पहचान, स्थिति एवं निवास संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित न्यायालय द्वारा बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व सत्यापित किए जाएँ।

10. आवेदक तथा जमानतदारों के चलभाष संख्या एवं आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की संगणक-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आधिकारिक जालस्थल से अधोभारित की गई हो तथा संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस आशय के वचनपत्र के साथ सत्यापित की गई हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए रिहाई आदेश को जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित कारागार को भेजेगा।

13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की एक प्रति आवेदक को **कारागार अधीक्षक, वाराणसी** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक डाक अथवा ई-कारागार जालस्थल पर तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 24 घंटे के भीतर प्रेषित करे, जिससे कि **जमानत प्रदान करने की नीति एवं रणनीति, अंतर्गत स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 सन् 2021, दिनांक 31.01.2023** को निर्णीत, जो **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रकाशित है, के वाद में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश तथा **पीला पाहन@पीला पाहन एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169 सन् 2025, दिनांक 29.05.2026** को निर्णीत, के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके।

14. यदि कोई आवेदन हो, तो वह **निस्तारित** माना जाता है।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

10 अगस्त, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।